

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक :- 21.07.2016

आयोग द्वारा दिनांक 21.06.2016 से 09.07.2016 तक ऑन-लाईन आयोजित व्याख्याता (कॉलेज शिक्षा) परीक्षा 2014 के विषय – लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, ई.ए.एफ.एम., भूगर्भ शास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, चित्रकला, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि, संस्कृत, रसायन शास्त्र, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, उर्दू, फारसी, सिन्धी, वस्त्र रंगाई छपाई, ए.बी.एस.टी., संगीत वाद्य, मनोविज्ञान, भूगोल, भौतिक शास्त्र, हिन्दी, दर्शनशास्त्र और संगीत कंठ के प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय तथा उनकी उत्तरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 24.07.2016 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकता है।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु 100/- निर्धारित किया गया है। इस हेतु अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आई.डी., जन्म तिथि तथा कितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी हैं, उसके अनुसार ई-मित्र कियोस्क पर प्रति प्रश्न रु 100/- की दर से टोकन कटायें। अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी ई-मित्र वेब पोर्टल पर ऑनलाईन नेट-बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भी टोकन कटवा सकते हैं। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 24.07.2016 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों के लिये पोर्टल [rpsc.rajasthan.gov.in/examobjection](http://rpsc.rajasthan.gov.in/examobjection) या लिंक [rpsc.rajasthan.gov.in](http://rpsc.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं, को अभ्यर्थी क्लिक करें। आपत्ति प्रामाणिक (Standard, Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन संलग्न करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अभ्यर्थी उनके द्वारा दी गई ऑनलाईन परीक्षा का पुनरावलोकन RPSC की Website पर उपलब्ध लिंक MEMORY से कर सकते हैं।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)  
सचिव